

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक : एफ17(8)64/रा.ज.आ.यो./आय सृजन/2024/945

दिनांक : 07.05.2026

परिपत्र-10

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा संचालित जन आधार योजनान्तर्गत निवासियों द्वारा जन आधार की सूचनाओं में किये जा रहे अद्यतनों एवं संशोधनों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने एवं निवासी के द्वारा स्वयं की SSO ID से किए जा रहे अद्यतनों पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार अधिकतम सीमा एवं शुल्क निर्धारित किया जाता है -

संशोधन/अद्यतन की श्रेणी	संशोधन/अद्यतन की निर्धारित सीमा	निर्धारित शुल्क
1. व्यक्तिगत सूचनाओं में संशोधन/अद्यतन-		
पिता का नाम, माता का नाम, अल्पसंख्यक श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी के नाम में संशोधन/अद्यतन	अधिकतम 2 बार अनुमत	प्रथम बारीय नि:शुल्क तत्पश्चात 15 रुपए प्रति संशोधन/अद्यतन
शिक्षा में अद्यतन, आय विवरण में संशोधन/अद्यतन	एक वित्तीय वर्ष में 2 बार अनुमत	प्रथम बारीय नि:शुल्क तत्पश्चात 25 रुपए प्रति संशोधन/अद्यतन
बैंक विवरण में संशोधन/अद्यतन	एक वित्तीय वर्ष में 2 बार अनुमत	प्रथम बारीय नि:शुल्क तत्पश्चात 40 रुपए प्रति संशोधन/अद्यतन
संपर्क विवरण, आधार अधिप्रमाणन, व्यवसाय, निवासी स्थिति और पते में संशोधन/अद्यतन,	कोई सीमा नहीं	
2. पारिवारिक सूचनाओं में संशोधन/अद्यतन-		
परिवार विभाजन, परिवार/सदस्य का स्थानांतरण, मुखिया परिवर्तन	अधिकतम 5 बार अनुमत	प्रथम बारीय नि:शुल्क तत्पश्चात 25 रुपए प्रति संशोधन/अद्यतन
3. अन्य प्रकार की सूचनाओं में संशोधन/अद्यतन-		
गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र इत्यादि की सूचनाओं को जन आधार में संशोधन/अद्यतन	अधिकतम 5 बार अनुमत	25 रुपए प्रति संशोधन/अद्यतन
4. पूर्णतः नि:शुल्क संशोधन/अद्यतन-		
नवीन नामांकन, परिवार में नए सदस्य को जोड़ना, मृत्यु के कारण मुखिया/सदस्य को हटाना	केवल 1 बार अनुमत	पूर्णतः नि:शुल्क
ई-जन आधार डाउनलोड	कोई सीमा नहीं	

यह परिपत्र दिनांक 01 जून, 2026 से प्रभावी होगा।

(वी. श्रीनिवास)

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष,
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date: 2026.05.07 12:24:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21835172

M e-Sign



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक (तकनीकी), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, संभाग कार्यालय, राजस्थान।
9. जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
12. तकनीकी निदेशक, जन आधार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
13. संयुक्त/उप निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय, समस्त राजस्थान।
14. एस.ए./एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिला मुख्यालय।
15. उपखण्ड अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
16. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
17. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष,
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Vonganti
Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date: 2026.05.07 22:24:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21835172
M e-Sign